अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

(8)

आर0ई0आर0 केश सं0– 232 / 16–17

लक्ष्मण मिस्त्री बनाम् राम विलास शर्मा

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–महागामा, थाना–महागामा, जमाबंदी नं0–106 गत सर्वे पर्चा में बद्री मड़ैया एवं छंगूरी मड़ैया, पे0–पारन मड़ैया के नाम से दर्ज है। आवेदक बद्री मड़ैया के वंशज हैं। विपक्षी बिल्कुल बाहरी व्यक्ति हैं तथा जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है। खतियान में भूमि का किस्म–बाड़ी ऑवल कहकर दर्ज है, परन्तु विपक्षी द्वारा जमीन का किस्म परिवर्त्तित कर दिया है। विपक्षी द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 के विरूद्ध अवैध रूप से जमीन का स्वरूप परिवर्त्तन कर कब्जा कर लिया गया है। विपक्षी को मना करने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। आवेदक को आर्थिक क्षति तथा मानसिक तकलीफ पहुंचाने के लिए आवेदक एवं उसके परिवार वालों पर केश कर दिया गया है। विपक्षी गलत एवं जाली कागजात के आधार पर दखल कर लिये हैं। उक्त कागजात न्यायालय में प्रस्तुत करने पर आवेदक उसे चुनौती दे सकता है। अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा मौजा–महागामा, जमाबंदी नं0–106, दाग नं0–1025 के आंशिक रकवा 00–01–00 धूर भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने का अनुरोध किया गया हैं।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक का कथन गलत है। विपक्षी जमाबंदी रैयत के वंशज हैं तथा बैद्य उत्तराधिकारी हैं। रामविलास मिस्त्री, तेतरी देवी के पति हैं। वर्त्तमान वाद स्वत्व निर्धारण से संबंधित है, जिस पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 लागू नहीं होता है। अंत में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्ष एक ही जमाबंदी रैयत के वंशज हैं। अंचल अधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक–408, दिनांक–28.09.20185 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि तेतरी देवी जमाबंदी रैयत बद्री मड़ैया की पोती हैं। महावीर मिस्त्री, पे0–बद्री मड़ैया द्वारा अपनी भतिजी तेतरी देवी, पे0–मनोहर मिस्त्री, पति–राम विलास शर्मा को शपथ पत्र सं0–298, दिनांक–25.01.1994 द्वारा अपने हिस्से की जमीन में से जमाबंदी नं0–106, दाग नं0–1025, रकवा–00–01–00 धूर भूमि दान में दिया है। प्राप्त भूमि पर तेतरी देवी अपने पति एवं बच्चों के साथ मकान बनाकर निवास करते आ रहे हैं। अंचल अधिकारी, महागामा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मामला स्वत्व निर्धारण से संबंधित है। वर्त्तमान न्यायालय स्वत्व निर्धारण के लिए समक्ष न्यायालय नहीं है।

अतः वाद की प्रकिया समाप्त की जाती है।

Seen Gopal 11.01.19

लिखाया एवं शुद्ध किया।

11.01.19

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

11.01.19

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।